

## मुरादाबाद विकास प्राधिकरण

बनाम

सौरभ जैन और अन्य

सितंबर 28,2007

(डॉ. अरिजीत पासायत और लोकेश्वर सिंह पांटा, जे. जे.]

शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976:

धारा 34 और परंतुक-संशोधन-अधिशेष के रूप में घोषित भूमि दाखिल करने के लिए उचित समय सीमा-कब्जा लिया गया-लगभग 20 वर्षों के बाद राज्य सरकार ने एक संशोधन याचिका पर, अधिनियम के तहत नहीं आने वाली भूमि पर कब्जा कर लिया और इसे जारी करने का निर्देश दिया-इस बीच भूमि को आवासीय कॉलोनी के रूप में विकसित किया गया और उस पर घरों और फ्लैटों का निर्माण किया गया-अभिनिर्धारित किया पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग करने के लिए, सरकार को इस बात की जांच करनी होगी कि आवेदक ने अपील दायर करने के उपाय का लाभ क्यों नहीं उठाया है-यह भी जांच करना आवश्यक है कि क्या लंबे समय के बाद कोई कार्रवाई आवश्यक है-इसके अलावा, धारा 34 आदेश किसी भी व्यक्ति को सुनने का उचित अवसर प्रदान करता है जिसके आदेश से प्रभावित होने की संभावना है-प्राकृतिक न्याय।

उत्तर प्रदेश शहरी योजना और विकास अधिनियम, 1973:

धारा 17 और 34-विकास शुल्क आदि के भुगतान पर भूमि की बहाली- 1976 के अधिनियम के तहत अधिशेष घोषित भूमि पर, उस पर निर्मित आवासीय कॉलोनी के लिए घर और फ्लैट-20 वर्षों के बाद संशोधन में 1976 के अधिनियम के अंतर्गत नहीं आने वाली सरकारी भूमि-भूमि के कुछ हिस्से को विकास शुल्क आदि के भुगतान पर

भूमि मालिकों को वापस करने का निर्देश दिया गया। अभिनिर्धारित विकास शुल्क और निर्माण शुल्क अधिनियम-धारा 17 और 34 के तहत वैधानिक रूप से अधिरोपणीय हैं। और अधिनियम 1976 के अधिनियम के तहत कार्यवाही पर निर्भर नहीं हैं-भूमि-मालिक विकास और कानून में देय अन्य शुल्कों का भुगतान करने के लिए सहमत होने पर, निर्णय में निर्दिष्ट अप्रयुक्त खाली भूमि को जारी करने का निर्देश दिया गया है-शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976-धारा 34.

भूमि परिमाण 8116.89 वर्ग कि. मी. प्रतिवादी से संबंधित को वर्ष 1977 में शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 के तहत अधिशेष घोषित किया गया था। लेकिन, राज्य सरकार द्वारा एक पुनरीक्षण याचिका में पारित दिनांक 9.7.1998 के आदेश द्वारा, भूमि को कृषि भूमि और 1976 के अधिनियम के दायरे से बाहर माना गया था, और इसलिए, इसे जारी करने का निर्देश दिया गया था। हालाँकि, इस बीच भूमि को एक आवासीय कॉलोनी के रूप में विकसित किया गया था और उस पर निर्मित फ्लैट और घर विभिन्न आबंटियों को आवंटित किए गए थे। प्रतिवादी द्वारा क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन पर, सरकार 3605 वर्ग कि. मी. वापस करने के लिए सहमत हुई। विकास शुल्क और निर्माण लागत के भुगतान के अधीन भूमि उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिका में कहा कि विकास शुल्क की मांग अवैध, मनमाना और अन्यायपूर्ण थी, और राज्य सरकार और अपीलकर्ता को 4511 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में प्रतिवादी के पास लौटने का निर्देश दिया। विवादग्रस्त भूमि के आसपास की भूमि का या पूर्ण बाजार मूल्य पर क्षतिपूर्ति का भुगतान करना। इससे नाराज विकास प्राधिकरण ने तत्काल अपील दायर की।

अपील का निस्तारण करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

1.1. उच्च न्यायालय इस बात पर ध्यान देने में विफल रहा कि अधिशेष भूमि

की घोषणा की तारीख से 20 साल बाद, शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 की खंड 34 के तहत याचिका दायर की गई थी, बिना यह बताए कि दो दशकों तक निष्क्रियता का कारण क्या था। पुनरीक्षण शक्ति के प्रयोग के लिए यह खुला है। राज्य सरकार किसी याचिका की जांच करेगी और उसमें दर्शाई गई सामग्री के आधार पर यह तय करेगी कि खंड 34 के संदर्भ में कोई कार्रवाई की आवश्यकता है या नहीं। यदि राज्य सरकार किसी व्यक्ति द्वारा दायर याचिका के आधार पर कार्रवाई करने का निर्णय लेती है, तो उसे इस बात की जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति ने अपील दायर करने के उपाय का लाभ क्यों नहीं उठाया है। यह भी जांचना आवश्यक है कि क्या लंबे समय के बाद कोई कार्रवाई आवश्यक है। इस अभ्यास में, उचित समय के भीतर याचिका दायर करना अंतर्निहित है। इसके अलावा, प्रतिवादी द्वारा दायर अधिनियम की धारा 34 के तहत पुनरीक्षण के लिए याचिका का निपटारा अपीलकर्ता को बिना नोटिस दिए किया गया था। हालाँकि अपीलकर्ता का भूमि पर अधिकार था, लेकिन अपीलकर्ता का नाम एक पक्ष के रूप में वाद में शामिल नहीं किया गया था। इस प्रकार अपीलकर्ता को पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा नहीं सुना गया। खंड 34 का परंतुक आदेश से प्रभावित होने की संभावना वाले किसी भी व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने का आदेश देता है। [पैरा 9,16,19 और 20] [448-डी, ई; 450-सी-डी; 449-ई; 450-ई]

पुणे नगर निगम बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, [2007] 5 एससीसी 211, पर भरोसा किया।

1.2. उत्तर प्रदेश शहरी योजना और विकास अधिनियम, 1973 के तहत विकास शुल्क और निर्माण शुल्क वैधानिक रूप से अधिरोपणीय हैं, 1-3 प्रतिवादी के अनुरोध पर, राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए कदम नहीं उठाए। इस शर्त पर कि भूमि अधिग्रहण की कोई आवश्यकता नहीं है, विकास शुल्क और अन्य शुल्कों का भुगतान

करने के लिए एक स्पष्ट समझौता था। विकास अधिनियम की धारा 17 और 34 अधिकतम सीमा अधिनियम के तहत कार्यवाही पर निर्भर नहीं हैं। उच्च न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण पहलू की अनदेखी करना उचित नहीं था। यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय ने वास्तव में विकास शुल्क के भुगतान के लिए दी गई रियायत के वास्तविक महत्व पर विचार नहीं किया है। इसका कोई अवैध उपयोग नहीं था और इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित किसी भी मुआवजे का सवाल ही नहीं उठता है। [पैरा 11,12 और 15] [448-जी; 449-ए, बी, डी, ई]

1.3. उच्च न्यायालय के विवादित निष्कर्ष टिकाऊ नहीं हैं। आम तौर पर, न्यायालय ने विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया होता और मामले को नए सिरे से निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालय को भेज दिया होता। लेकिन चूंकि प्रतिवादी 1-3 इस बात से सहमत हैं कि 3570 वर्ग कि. मी. विकास शुल्क और अन्य शुल्कों के भुगतान पर उन्हें भूमि वापस की जा सकती है, जैसा कि कानून में देय है, अपील का निपटारा निम्नलिखित के साथ किया जाता है: दिशा निर्देश:

(1) अपीलकर्ता प्राधिकरण विकास अधिनियम के तहत देय विकास शुल्क और अन्य शुल्कों के भुगतान पर 3570 वर्ग मीटर अप्रयुक्त खाली भूमि को जारी करेगा।

(2) प्रतिवादी 1-3 वर्तमान विवाद से संबंधित 3570 वर्ग मीटर से अधिक की किसी भी भूमि के लिए हकदार नहीं होंगे। [पैरा 21 और 22] [450-एफ, जी; 451-ए-बी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार न्यायनिर्णय: दीवानी याचिका सं 4329/2003

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सी.एम.डब्ल्यू.पी. सं. 30433/2002 के निर्णय और आदेश दिनांक 12.5.2003 से पारित।

के साथ

अवमानना याचिका (सी) सं. 239/2005

अपीलकर्ता के लिए शरण अमरेंद्र, एम. पी. शोरावाला, विपिन के. सक्सेना, ज्योति सक्सेना, शशि किरण और अमित तिवारी।

प्रतिवादियों के लिए शैल कुमार द्विवेदी, ए. ए. जी., राकेश द्विवेदी, प्रशांत कुमार, मुक्ति चौधरी, शांतनु कृष्णा, अरविंद मोहन, अमित सिंह, राज कुमार गुप्ता, जी. वेंकटेश्वर राव, कमलेंद्र मिश्रा और अनुव्रत शर्मा।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पासायत, जे. द्वारा दिया गया था।

1. इस अपील में चुनौती प्रतिवादी 1, 2 और 3 द्वारा दायर रिट याचिका (सीएमडब्ल्यूपी सं.30433/2002) को अनुमति देने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ के फैसले को दी गई है।

2. रिट याचिका में चुनौती राज्य सरकार द्वारा रिट याचिका के लिए दिनांक 23.11.2001 अनुलग्नक-6 के आदेश और अपीलार्थी-मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा क्रमशः दिनांक 11.12.2001 और 15.4.2002 अनुलग्नक 7 और 8 आदेशों को दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने रिट याचिका में प्रतिवादी को मोरादाबाद जिले की हरथला मुस्तहकम तहसील के गाँव में स्थित भूखंड सं.454 में 8116.65 वर्ग मीटर की भूमि के रिट याचिकाकर्ताओं के कब्जे को तुरंत वापस करने का निर्देश देने के लिए एक परमादेश का भी अनुरोध किया था।

3. रिट याचिका में जिन पृष्ठभूमि तथ्यों पर प्रकाश डाला गया था, वे थे कि शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी और संबंधित कार्यवाही में संबंधित भूमि को सक्षम प्राधिकारी, मुरादाबाद द्वारा दिनांक 29.8.1977 के आदेश द्वारा अधिशेष भूमि घोषित किया गया था। उक्त आदेश के खिलाफ एक संशोधन दायर किया गया था

और राज्य सरकार ने दिनांक 9.7.1998 के आदेश द्वारा अधिनियम की खंड 34 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए कहा कि विवादित भूमि कृषि भूमि थी और इस प्रकार अधिनियम के दायरे से बाहर थी। इसलिए, भूमि धारकों के पक्ष में भूमि जारी करने का निर्देश दिया गया। यह मामला राज्य सरकार के पास भेजा गया था। कब्जा बहाल करने की मांग की गई क्योंकि अपीलकर्ता प्राधिकरण ने विवादित भूमि पर कब्जा कर लिया था और एक आवासीय कॉलोनी विकसित की थी। राज्य सरकार ने अपीलकर्ता प्राधिकरण के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया, जिसने बताया कि उसने राम गंगा विहार कॉलोनी नामक एक आवासीय कॉलोनी विकसित की है और आवंटनकर्ताओं को फ्लैट और घर आवंटित किए हैं। अपीलकर्ता प्राधिकारी ने भूमि अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव भेजा लेकिन यह सरकार को स्वीकार्य नहीं था। हालाँकि, अपीलकर्ता प्राधिकरण ने 3605 वर्ग मी. वापस करने का प्रस्ताव रखा। भूमि जो अभी तक हस्तांतरित नहीं की गई थी। दिनांक 23.11.2001 के आदेश द्वारा राज्य सरकार ने अपीलकर्ता प्राधिकरण को विचाराधीन भूमि को वापस करने का निर्देश दिया। हालाँकि, इसने निर्देश दिया कि क्षेत्र पर विकास शुल्क और निर्माण की लागत रिट याचिकाकर्ताओं से ली जानी थी। लेकिन राज्य सरकार ने कुल भूमि से शेष 4511 वर्ग मीटर के बारे में कोई निर्देश नहीं दिया।

4. अपीलकर्ता प्राधिकारी ने सरकार के उपरोक्त आदेश के आधार पर वर्ग मीटर क्षेत्र के संबंध में विकास शुल्क और निर्माण लागत के रूप में ₹ 62,24,534/- की मांग की।

5. रिट याचिका में यह स्थिति थी कि राज्य सरकार के दिनांक 9.7.1998 के आदेश को देखते हुए, अपीलकर्ता प्राधिकरण का निर्णय किसी भी वैध अधिकार का दावा नहीं कर सकता था। अपीलकर्ता प्राधिकारी का यह तर्क दिया गया था कि वह प्रतिवादी को भूमि के कब्जे को बहाल करने के लिए कर्तव्यबद्ध था, और चूंकि उसने ऐसा नहीं

किया, इसलिए प्रतिवादी को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था।

6. रिट याचिका में अपीलकर्ता का रुख था कि भूमि का कब्जा जून 1989 में उसे सौंप दिया गया था और उस समय यह अधिनियम के तहत अधिशेष भूमि थी। बीच की अवधि में आवासीय कॉलोनी विकसित की गई और कई फ्लैट और घर आवंटित किए गए और विभिन्न व्यक्तियों को हस्तांतरित किए गए।

7. उच्च न्यायालय ने माना था कि विकास शुल्क के लिए सहमति के संबंध में प्रतिवादी 1,2 और 3 की दलीलें विश्वसनीय नहीं थीं। काउंटर में इस पहलू का कोई विशिष्ट संदर्भ नहीं था। शपथ पत्र दाखिल किया गया। यदि यह वास्तव में ऐसा था, तो इसे जवाबी शपथ पत्र में जगह मिलनी चाहिए थी। यह माना गया कि विकास शुल्क की मांग अवैध, मनमाना और अनुचित थी। तदनुसार, रिट याचिका स्वीकार करते हुए राज्य सरकार थी अपीलकर्ता प्राधिकरण को 4511 वर्ग मीटर भूमि का कब्जा देने का निर्देश दिया गया था। विवादग्रस्त भूमि के आसपास या पूर्ण बाजार मूल्य पर क्षतिपूर्ति का भुगतान करना। इसके अलावा, रिट याचिका में प्रतिवादी को भूमि के अवैध उपयोग के लिए मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था। जिस तारीख को उन्होंने कब्जा किया था। मुआवजे का निर्धारण जिला न्यायाधीश, मुरादाबाद द्वारा करने का निर्देश दिया गया था।

8. अपील के समर्थन में, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय का आदेश विभिन्न दुर्बलताओं से ग्रस्त है।

9. उच्च न्यायालय इस बात पर ध्यान देने में विफल रहा कि अधिशेष भूमि की घोषणा की तारीख से 20 साल बाद, अधिनियम की खंड 34 के तहत याचिका दायर की गई थी, बिना यह बताए कि दो दशकों की निष्क्रियता का कारण क्या था। प्रतिवादी 1,2 और 3 द्वारा दायर खंड 34 याचिका का अपीलकर्ता को बिना नोटिस दिए निपटारा कर दिया गया। हालाँकि अपीलकर्ता का भूमि पर अधिकार था, लेकिन अपीलकर्ता का नाम

एक पक्ष के रूप में वाद में शामिल नहीं किया गया था।

10. यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम की खंड 34 का प्रावधान समान रूप से लागू होता है और उस पर विचार नहीं किया गया है। उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी 1,2 और 3 के पूर्ववर्ती द्वारा 3598 वर्ग मीटर क्षेत्र को जारी करने के लिए 28.12.2000 पर लिखे गए पत्र पर भी ध्यान दें नहीं दिया। पूरे दावे के ग्रहणाधिकार में उनके पक्ष में अप्रयुक्त खाली भूमि का और विकास शुल्क और बेहतरी शुल्क का भुगतान करने के लिए सहमति थी।

11. राज्य सरकार के निर्देशों के संदर्भ में अपीलकर्ता प्राधिकरण विकास शुल्क के भुगतान और प्रचलित बाजार दर पर लागत के निर्माण पर भूमि का भुगतान को अधिक से अधिक 3605 वर्ग मीटर भूमि जारी करनी होती है। उच्च न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण पहलू की अनदेखी करना उचित नहीं माना।

12. लगभग दो दशकों से निष्क्रियता की व्याख्या नहीं की गई थी। अपील के लिए एक वैधानिक समय सीमा निर्धारित की गई है। केवल यदि अपील दायर नहीं की जाती है, तो पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का सहारा लिया जा सकता है। यह एक पक्ष को लगभग दो दशकों तक कोई कार्रवाई किए बिना राहत के लिए आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देता है। विकास शुल्क और निर्माण शुल्क यू. पी. शहरी योजना और विकास अधिनियम, 1973 (संक्षेप में "विकास अधिनियम") के तहत वैधानिक रूप से अधिरोपणीय हैं। प्रतिवादी 1,2 और 3 के अनुरोध पर राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए कदम नहीं उठाए। इस शर्त पर कि भूमि अधिग्रहण की कोई आवश्यकता नहीं है, विकास शुल्क और अन्य शुल्कों का भुगतान करने के लिए एक स्पष्ट समझौता था। विकास अधिनियम की धारा 17 और 34 अधिनियम के तहत कार्यवाही पर निर्भर नहीं हैं।



13. यह इंगित किया गया है कि अपीलकर्ता प्राधिकरण द्वारा कोई अवैध उपयोग नहीं किया गया था और इसलिए मुआवजे का सवाल ही नहीं उठता है।

14. दूसरी ओर प्रतिवादी 1,2 और 3 के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि भूमि के उपयोग के किसी भी अधिकार के बिना उन्हें लगभग दो दशकों तक वंचित रखा गया था। उच्च न्यायालय ने कहा प्रस्तुत किया गया, निर्देश देना और विवादित निष्कर्ष पर आना उचित था।

15. यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय ने वास्तव में विकास शुल्क के भुगतान के लिए दी गई रियायत के वास्तविक महत्व पर विचार नहीं किया है। जैसा कि अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने ठीक ही तर्क दिया कि इसका कोई अवैध उपयोग नहीं था और इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित किसी भी देय मुआवजे का सवाल नहीं उठता है।

16. निर्विवाद रूप से राज्य सरकार के समक्ष संशोधन लगभग दो दशकों के बाद किया गया था। तत्काल मामले में अपीलकर्ता को पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा नहीं सुना गया था।

17. अधिनियम की खंड 33 किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई अपील से संबंधित है जो अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए गए किसी भी आदेश से पीड़ित है जो खंड 11 के तहत आदेश या खंड 30 की उप-खंड (1) के तहत आदेश नहीं है। अपील उस तारीख से 30 दिनों के भीतर दायर की जानी है जिस दिन आदेश उसे सूचित किया जाता है। खंड 33 के परंतुक के तहत अपीलीय प्राधिकरण 30 दिनों की समाप्ति के बाद अपील पर विचार कर सकता है यदि यह संतुष्ट है कि अपीलकर्ता को समय पर अपील दायर करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था। अधिनियम के तहत अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित प्रत्येक आदेश अंतिम होता है।

18. खंड 34 राज्य सरकार द्वारा संशोधन से संबंधित है। उक्त प्रावधान के तहत, राज्य सरकार अपने स्वयं के प्रस्ताव पर अधिनियम के प्रावधानों के तहत पारित किसी भी आदेश या कार्यवाही के रिकॉर्ड की मांग और जांच कर सकती है और जिसके खिलाफ खंड 12 या खंड 30 या खंड 33 के तहत कोई अपील नहीं की गई है ताकि वह ऐसे आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में या ऐसी प्रक्रिया की नियमितता के बारे में खुद को संतुष्ट कर सके और ऐसा आदेश पारित कर सके जो वह उचित समझे।

19. प्रावधान के एक नंगे अध्ययन से पता चलता है कि यह राज्य सरकार की ओर से स्वप्रेरणा संज्ञान कार्रवाई से संबंधित है। उस अर्थ में, एक व्यथित व्यक्ति जिसके पास खंड 33 के तहत अपील का उपाय था, उसे संशोधन में जाने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। तथापि, राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षण शक्ति के प्रयोग के लिए यह राज्य सरकार के लिए खुला है कि वह किसी याचिका की जांच करे और उसमें इंगित सामग्री के आधार पर यह तय करे कि खंड 34 के संदर्भ में कोई कार्रवाई की आवश्यकता है या नहीं। यदि राज्य सरकार किसी व्यक्ति द्वारा दायर याचिका के आधार पर कार्रवाई करने का निर्णय लेती है, तो उसे इस बात की जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति ने अपील दायर करने के उपाय का लाभ क्यों नहीं उठाया है। यह भी जांचना आवश्यक है कि क्या लंबे समय के बाद कोई कार्रवाई आवश्यक है। इस अभ्यास में, उचित समय के भीतर अंतर्निर्मित याचिका दायर करना है उचित समय क्या होगा, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा और कोई सीधा जैकेट सूत्र अपनाया या लागू नहीं किया जा सकता है।

20. खंड 34 के तहत एक और वैधानिक आवश्यकता है। खंड 34 का परंतुक आदेश से प्रभावित होने की संभावना वाले किसी भी व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने का आदेश देता है। इन पहलुओं को पुणे नगर निगम बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, [2007] 5 एस. सी. सी. 211 में उजागर किया गया है।

21. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय के विवादित निष्कर्ष टिकाऊ नहीं हैं। आम तौर पर, हम आदेश को दरकिनार कर देते और मामले पर नए सिरे से फैसला करने के लिए इसे उच्च न्यायालय में भेज देते। लेकिन उत्तरदाताओं के लिए 1,2 और 3 के विद्वान अधिवक्ता ने निर्देशों पर कहा कि वे सहमत हैं कि 3570 वर्ग कि. मी. भूमि का अंश प्रतिवादी को 1,2 और 3 वापस किया जा सकता है और विकास शुल्क और अन्य शुल्क, जो कानून में देय हैं, उक्त प्रतिवादी द्वारा भुगतान किए जाएंगे।

22. प्रतिवादी 1,2 और 3 के लिए विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त बयान को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित निर्देशों के साथ अपील का निपटारा करते हैं:

(1) अपीलकर्ता प्राधिकरण विकास अधिनियम के तहत देय विकास शुल्क और अन्य शुल्कों के भुगतान पर अप्रयुक्त खाली भूमि का 3570 वर्ग मीटर क्षेत्र जारी करेगा।

(2) प्रतिवादी 1,2 और 3 वर्तमान विवाद से संबंधित 3570 वर्ग मीटर से अधिक भूमि के हकदार नहीं होंगे।

23. अपील का निपटान तदनुसार किया जाता है और लागत के बारे में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

अवमानना याचिका 239/2005

24. सिविल अपील सं.4329/2003 के निपटारे को देखते हुए, अवमानना याचिका का भी निपटारा किया जाता है।

आर. पी.

अपील और अवमानना याचिका का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।